न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2019

प्रार्थी

1. हीरालाल वल्द धीमाराम जाति विश्नोई निवासी डीगांव तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. भैराराम वल्द धीमाराम
2. बाबूराम वल्द धीमाराम
3. स्व.वीराराम उर्फ मोटा वल्द धीमाराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1व 2
4. लाडूराम वल्द फगलूराम
5. ठाकराराम वल्द फगलूराम
6. रामलाल वल्द रूडा
7. रतनाराम वल्द रूडा
8. भारमल वल्द रूडा
9. सुखराम वल्द रूडा
10. भगवानाराम वल्द रूडा
11. भागीरथ पुत्र चन्दनी पुत्री रूडा
12. सोना पुत्री चन्दनी
13. केली पुत्री चन्दनी
14. कोकू पुत्री रूडा
15. तुलसी पुत्री रूडा
16. जमना पुत्री रूडा
17. धनी पुत्री बुला
18. सोनी पुत्री बुला
19. मीरा पत्नि स्व.बुला कौम विश्नोई निवासी डीगांव
20. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार
21. हल्का–पटवारी भाटीप
22. शाखा प्रबंधक मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा करडा

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्राथी अधिवक्ता श्री पुखराज विश्नोई
2. अप्रार्थी संख्या 20 राजपेरोकार ।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:37 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक – 28.10.2020

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा डीगांव तहसील रानीवाडा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 19 के

सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 684 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 728 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 730 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 731 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 733 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 766 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 769 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 782 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 786 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 791 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 795 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 796 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 1.61 हैक्टेयर, कुल रकबा 18.35 हैक्टेयर आराजी आयी हुई हैं। जिसके वर्तमान खातेदारी रामलाल,रतनाराम, भारमल,सुखराम,भगवानाराम पिसरान रूडा, भागीरथ पुत्र चन्दगी,सोना,केली पुत्रीगण चन्दनी पुत्री रूडा, कोकू,तुलसी,जमना पुत्रीयान रूडा 1/3 हिस्सा धनी, सोनी पुत्री मीरा बेवा बूला 1/3 हिस्सा भेरा,छोटू,मोटा,बाबू,धीमा,लाडू,ठाकरा पिसरान फलगू 1/3 हिस्सा कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज हैं। उक्त आराजीयान मे प्रार्थी हीरालाल का धरेलू नाम छोटू तथा उसके दिवगंत भाई वीरा का नाम मोटा के नाम से गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से पैन मिस्टेक से दर्ज हो चूके थें जिसकी जानकारी प्रार्थी को उस वक्त हुई ही नही क्योंकि उस वक्त प्रार्थी व उसका दिवंगत भाई वीरा नाबालिंग थें। प्रार्थी हीराराम का नाम छोटू वल्दियत धीमाराम के बजाय धीमाराम के भाईयों के नाम लगातार दर्ज होते हूए वल्दियत में फगलूराम का नाम भूलवंश त्रुटिपूर्ण तरीके से राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया। जबकि वास्तव में राजस्व रेकर्ड में भैरा,हीरा,वीरा,बाबू पिसरान धीमा तथा लाडू,ठाकरा,पिसरान फगलूराम दर्ज होना चाहिए था।

इसी प्रकार मौजा भाटकी पटवार हल्का बालेरा तहसील सांचोर की सामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 व 310/2022 कुल रकबा 9.71 हैक्टेयर खातेदारी भैराराम, वीराराम, हीराराम, बाबूलाल पिसरान धीमाराम कौम विश्नोई साकिन डीगांव तहसील रानीवाडा के नाम से हाल भाटकी खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार मौजा भापडी तहसील रानीवाडा की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 665, 666 ,667 ,692, 693, 694, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 ,714, 715 कुल रकबा 15.66 हैक्टेयर आराजीयान खातेदारी भैरा, हीरा, वीरा, बाबू पिसरान धींमा नाबालिंग की वली जोजे तीजो बेवा धीमा 1/09 हिस्सा लादू, ठाकरा पिसरान फगलू 2/9 हिस्सा, रामलाल, रतनाराम ,भारमल ,सुखराम ,भगवानाराम पिसरान रूडा, कोकू, तुलसी, जमना पुत्रीयान रूडा, भागीरथ, सोनाराम ,पुत्रगण चन्दणी, कैली पुत्री चंदणी पुत्री रूडा 1/3 हिस्सा मीरा बेवा बुला 1/3 हिस्सा कौम विश्नोई साकिन डीगांव देह खातेदार रहन मीरा बेवा बूला का हिस्सा मारवाडा ग्रामीण बैक करडा के अधिन रहन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 में दर्ज है। उक्त दोनो ग्रामो की खातेदारी कृषि भूमियों में प्रार्थी हीरा एवं उसके दिवंगत भाई वीरा की वल्दियत धीमाराम [illegible] है, तथा छोटू मोटा के नाम दर्ज नही की हैं छोटू व मोटा के नाम के अन्य कोई [illegible] स्व.धीमाराम के जायज जिन्दा संतान उपलब्ध ही नहीं हैं तथा प्रार्थी हीरालाल का [illegible]रेलू प्रेम से पुकारा जाने वाला नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:37 IST
Reason: SelfAttested

छोटू था तथा दिवंगत भाई वीराराम का नाम मोटा था। दोनो नाम प्रार्थी स्वंय के ही है। तथा उसके दिवंगत भाई वीराराम उर्फ मोटा के ही थें।

प्रार्थी का वास्तविक नाम हीराराम वल्द धीमाराम के नाम से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे/22/171/066787 तथा आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड संख्या ए1केपीएल4058पी भी हीराराम पुत्र धीमाराम के नाम से जारी हो चूका है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड संख्या 4462 6460 2233 हीराराम पुत्र धीमाराम निवासी डीगांव करडा जालोर के नाम से है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड नम्बर 008977200149 पंचायत समिति रानीवाडा ग्राम पंचायत कोडका में प्रार्थी के नाम से हीराराम पुत्र धीमाराम पता 12, डीगांव के नाम से जारी किया हैं। जो प्रार्थी के नाम हीराराम पिता का नाम धीमाराम जाति विश्नोई निवासी डीगांव के रूप में सही नाम दर्ज होना राजकिय दस्तावेजात से प्रथम दषृया प्रमाणित हैं। राजस्व दस्तावेज खाता संख्या 128 के खातेदारी कृषि भूमि में वर्णित खसरा नम्बरानों की खातेदारी कृषि भूमि में छाटू वल्द फगलू गलत एवं त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। जबकि वह हीरालाल वल्द धीमाराम वल्द फगलूराम के रूप में दर्ज होना चाहिए था। इसलिए उक्त त्रुटिपूर्ण नाम पैन मिस्टेक भूलवंश लिखा होना प्रमाणित है जिसे धारा 136 आरएआर एक्ट के प्रावधानों के तहत संशोधित कर त्रूटिपूर्ण ईन्द्राजात को पैन मिस्टेक को सुधार कर छोटू मोटा पिसरान फगलू के बजाय हीरालाल,वीराराम पिसरान धीमाराम के रूप में नाम संशोधित कर त्रूटिपूर्ण दस्तावेज को रेकर्ड दूरस्त किया जाना न्याय संगत एवं अतिआवश्यक है क्योकि त्रूटिपूर्ण राजस्व रेकर्ड के आधार पर प्रार्थी फसल बीमा योजना तथा वर्षा ॠतु में हुए पूर्ण खराबे का राज्य सरकार द्वारा जारी किये हुए परिलाभ एवं मुआवजा तथा फसल बीमा क्लैम राशि प्राप्त करने से वंचित हो गया है इससे प्रार्थी आर्थिक एवं राजकार्य में भारी परेशानी उठानी पड रही हैं। तथा छोटू व मोटा नाम के अन्य कोई जीवित एवं मृत व्यक्ति आज धीमाराम के वारिसानों में उपलब्ध ही नही है। तथा ना ही फगलूराम के वारिसान में इस नाम के कोई संतान नही है, तथा तमाम जानकारी प्रार्थी के व्यक्तिगत अधिकार की हैसियत से तमाम उपलब्ध साक्ष्यों व जवाबदारी के साथ न्यायालय हाजा में अन्तिम रेकर्ड दूरूस्ती हेतु प्रमाणित आधारों के साथ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा उक्त रेकर्ड दूरूस्ती हेतु प्रमाणित आधारों के साथ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। तथा उक्त रेकर्ड दूरूस्ती करने के किसी भी सहखातेदारानो के हक एवं हिस्सों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता हैं। उक्त संशोधन का आदेश बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थीगण सादिर फरमावें। उक्त संशोधित रेकर्ड दूरूस्त किये हूए आदेश की तहरीर त्रूटिपूर्ण राजस्व रेकर्ड मौजा डीगांव के खाता संख्या 128 में वर्णित खातेदारी खेत खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दूरूस्ती आदेश के तहत प्रार्थी को संशोधित नाम छोटू के बजाय हीरालाल वल्द धीमारा, वीराराम वल्द धीमारा के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहरीर तहसीलदार रानीवाडा पर जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण संख्या 1,2 द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया। जिसे तामिल माना गया। तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 से 22 तक बाद तामिल नोटिस प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 19 व 21 से 22 बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:37 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 19 तक की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 766 ,767 ,770, 771 ,773 ,774, 782 ,786 ,787, 788, 789, 790, 791, 795, 796, 797, 685, 684, 730, ,732, 733, 728 ,729 ,768, 769 ,772 ,781 ,794 कुल रकबा 29 तथा रकबा 18.35 हैक्टेयर की आराजी मौजा ग्राम डीगांव में आई हुई है तथा ग्राम भापडी (करडा) में इन्ही के संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 665 ,666 ,667 ,692 ,693 ,694 703 ,704 ,705 ,706 ,707 ,708 ,709 ,710 ,711 ,714 ,715 कुल खसरा 17 कुल रकबा 15.66 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रथम सेटलमेन्ट में लूम्बा वल्द गणेशा कौम विश्नोई दर्ज थी। पुराना खसरा नम्बर 255 ,261 कुल रकबा 62.16 बीघा दर्ज है तथा ग्राम डीगांव में भी उक्त भूमि प्रथम सेटलमेन्ट में लूबा वल्द गणेशा कौम विश्नोई दर्ज थी। प्रथम सेटलमेन्ट के बाद सन् 1977 में राजस्व काम निपटाओ अभियान 1977 में लुम्बा के फौत होने के कारण ग्राम करडा में उत्तराधिकारी का नामान्तरणकरण 585 भरा गया एवं डीगांव में उत्तराधिकारी का नामान्तरणकरण संख्या 125 भरा गया। उक्त दोनो ग्रामो की ग्राम पंचायत अलग–अलग होने से ग्राम डीगांव में लुम्बा के उत्तराधिकारीयों के नाम भेरा,छोटू,मोटा,बाबू पिसरान धीमा दर्ज किया गया तथा ग्राम करडा(भापडी) में लुम्बा फौत वंशावली दर्ज कर भेरा,हीरा,वीरा,बाबू पिसरान धीमा दर्ज किया गया है। इस प्रकार दोनो ग्राम पंचायतों में वारिसान के अलग–अलग नाम दर्ज किये गये है। ग्राम पंचायत करडा द्वारा स्वीकृत ना. सं. 585 में दर्ज वंशावली निम्नानुसार हैः– लुम्बा के पुत्र फगलू , फगलू के पूत्र धीमा,लाडू,ठाकरा , धीमा के पुत्र भेरा,हीरा,वीरा,बाबू उक्त वंशावली अनुसार के वारिसान के नाम सही दर्ज हुए है। ग्राम डीगांव के ना.सं. 125 में वंशावली दर्ज नही होने से हीरा की बजाय छोटू तथा वीरा की बजाय मोटा नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थी डीगांव में दर्ज छोटू का वास्तविक नाम हीरालाल है जो करड़ा(भापडी) के पुराने ना.सं. 585 में दर्ज किया गया था। इसी नाम से प्रार्थी का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड बनवाया गया है अतः उक्त छोटू की जगह हीरा नाम दर्ज करवाने हेतु रिपोर्ट श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।

प्रार्थी अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा के जवाब पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा डीगांव तहसील रानीवाडा के खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 684 ,685 ,728, 729, 730, 731, 732 ,733 ,766 ,767 ,768, 769, 770, 771, 772 ,773 ,664, 781 ,782, 786, 787 ,788 ,789 ,790, 791 ,794 ,795, 796, 797, कुल खसरा 29 रकबा 18.35 हैक्टेयर आराजी आयी हुई हैं। जिसके वर्तमान खातेदारी रामलाल,रतनाराम, भारमल,सुखराम,भगवानाराम पिसरान रूडा, भागीरथ पुत्र चन्दगी,सोना,केली पुत्रीगण चन्दनी पुत्री रूडा, कोकू,तुलसी,जमना पुत्रीयान रूडा 1/3 हिस्सा धनी, सोनी पुत्री मीरा बेवा बूला 1/3 हिस्सा भेरा,छोटू,मोटा,बाबू,धीमा,लाडू,ठाकरा पिसरान फलगू 1/3 हिस्सा कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार के रूप में दर्ज हैं। इसी प्रकार मौजा ग्राम भापडी (करडा) में इन्ही के संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 665, 666, 667 ,692 ,693, 694, 703, 704 ,705 ,706, 707, 708, 709, 710, 711 ,714 ,715 कुल खसरा 17 कुल रकबा 15.66 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिनके खातेदार भैरा, हीरा, वीरा ,बाबू ,पिसरान धीमा नाबालिग की वली जोजे तीजो बेवा धीमा 1/09 हिस्सा लादू, ठाकरा पिसरान फगलू 2/9 हिस्सा, रामलाल,रतनाराम ,भारमल ,सुखराम, भगवानाराम पिसरान रूडा, कोकू,तुलसी,जमना पुत्रीयान रूडा,भागीरथ, सोनाराम,पुत्रगण चन्दणी, कैली पुत्री चन्दणी पुत्री रूडा 1/3 हिस्सा मीरा बेवा बुला 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:37 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा कौम विश्नोई साकिन डीगांव देह खातेदार रहन मीरा बेवा बूला का हिस्सा मारवाडा ग्रामीण बैक करडा के अधिन रहन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070—2073 में दर्ज है। हीराराम वल्द धीमाराम के नाम से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे/22/171/066787 ,आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड संख्या ए1केपीएल4058पी भी हीराराम पुत्र धीमाराम के नाम से है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड संख्या 4462 6460 2233 हीराराम पुत्र धीमाराम निवासी डीगांव करडा जालोर के नाम से है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड नम्बर 008977200149 पंचायत समिति रानीवाडा ग्राम पंचायत कोडका में प्रार्थी के नाम से हीराराम पुत्र धीमाराम पता 12, डीगांव के नाम से जारी किया हैं। राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब के साथ पेश दस्तावेजो नामान्तरण संख्या 585 ग्राम करडा में राजस्व काम निपटाओ अभियान 1977 में लुम्बा के फौत होने के कारण ग्राम करडा में उत्तराधिकारी का नामान्तरणकरण 585 भरा गया जिसमें लुम्बा फौत वंशावली दर्ज कर भेरा, हीरा, वीरा, बाबू पिसरान धीमा दर्ज किया गया है। एवं वंशावली में लुम्बा के पुत्र फगलू , फगलू के पूत्र धीमा, लाडू, ठाकरा, धीमा के पुत्र भेरा ,हीरा ,वीरा ,बाबू नाम है। एवं गांव डीगांव में उत्तराधिकारी का नामान्तरणकरण संख्या 125 भरा गया। जिसमें लुम्बा के उत्तराधिकारीयों के नाम भेरा, छोटू, मोटा ,बाबू पिसरान धीमा दर्ज किया गया। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर छोटू पुत्र धीमा के स्थान पर हीरा पुत्र धीमा नाम संशोधन करना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा डीगांव के खाता संख्या 128 में वर्णित खातेदारी खसरान की कृषि भूमि में जरिये संशोधित रेकर्ड दुरूस्ती में प्रार्थी का संशोधित नाम **छोटू वल्द धीमाराम के बजाय हीरालाल वल्द धीमाराम** के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:37 IST
Reason: SelfAttested